

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)

पीठारीन अधिकारी- श्री मूलचन्द लूगिया आर.ए.एस

GCMS NO. - 2022/147

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर 255/2022

तारीख हुवम	हुवम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

28.10.22- यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री हीराराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में रक्षित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम हेमासर अगुणा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में नया खाता संख्या 101 व पुराना खाता संख्या 102 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हीराराम पुत्र सूखाराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का राही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार हीराराम पुत्र सुरताराम है। प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र सुरताराम किये जाने का आदेश फरमावे।


प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र सूखाराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र सुरताराम है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, व दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशांका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारेण में ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में नया खाता संख्या 101 व पुराना खाता संख्या 102 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	हेमासर अगुणा	101 (नया) 102 (पुराना)	हीराराम पुत्र सूखाराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा	हीराराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

क्रमांक: राजस्व/2022/2693-2694

संलग्न दिनांक: 28.10.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी श्री हीराराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

